

**03 नवंबर, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली
अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा**

मद संख्या 73.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(ii) 22 सितंबर, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड (यूनिट 4) जो एनएसईजेड यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : 23 सितंबर 2011 को साफ्टवेयर विकास एवं आईटीईएस के लिए
- विस्तार : 22 सितंबर, 2016 तक 4 (चार)
- अनुरोध : वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	97
2.	निर्माण की लागत	
3.	प्लांट एवं मशीनरी	50
4.	अन्य ऊपरी खर्च	10
	कुल	157

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	25.351	0.00
2.	सामग्री का प्रापण	0.000	0.00
3.	सेवा लागत	0.448	0.085
4.	अन्य ऊपरी खर्च	0.000	0.296
	कुल	25.799	0.381

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का ब्यौरा : यूनिट ने बताया है कि वे नोएडा प्राधिकरण से भवन प्लान के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 22 अप्रैल 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वेबेल लिमिटेड जो मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में आईटी यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : 22 अप्रैल 2013
- विस्तार : एलओपी की वैधता अवधि 22 अप्रैल, 2016 तक बढ़ाई गई।
- अनुरोध : वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

तथापि, तीसरे वर्ष के लिए वैधता अवधि इसलिए नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि यूनिट की स्थापना के संबंध में निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं तथा मुकदमा के कारण यूनिट द्वारा इस आशय का सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो आवेदक के नियंत्रण से परे था अर्थात अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत एमपी केस नंबर 89/2016 के विरुद्ध उप मंडल मजिस्ट्रेट, बरुईपुर, दक्षिण 24 परगना द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 13 जून 2016

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है, हालांकि दो तिहाई निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) 27 अक्टूबर, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनकेबी हार्डवेयर जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : 28 अक्टूबर 2010 को बिल्डर हार्डवेयर के निर्माण और निर्यात के लिए
- विस्तार : एलओपी की वैधता अवधि 27 अक्टूबर, 2012 तक बढ़ाई गई।
- अनुरोध : चौथे साल के बाद वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

तथापि, यूनिट ने अभी तक उत्पादन एवं निर्यात की गतिविधियां शुरू नहीं की हैं। 25 नवंबर 2014 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक ने पाया है कि यूनिट ने न तो निर्यात उत्पादन शुरू किया है और न ही 27 अक्टूबर 2012 के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 29 जनवरी 2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा यूनिट के प्रतिनिधि ने 22 जून 2015 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में बताया है कि किन परिस्थितियों में यूनिट अपनी गतिविधियां शुरू नहीं कर सकी। इसके अलावा यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट के प्रमोटर को अगले 5 वर्षों के लिए विश्वसनीय योजना प्रस्तुत करने तथा प्लॉट नंबर 129जी/13 के विरुद्ध बकाया पट्टा किराया का भुगतान करने का निदेश दिया। चौथे साल के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पर पुनः 7 अक्टूबर 2015 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में विचार किया गया तथा यूनिट से पुनः अगले 5 वर्षों के लिए विश्वसनीय व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया, जिसमें यूनिट ने स्वीकार किया है कि कुछ पारिवारिक और वित्तीय समस्याओं के कारण वे व्यवसाय योजना प्रस्तुत नहीं कर सके तथा अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया।

उपर्युक्त परिस्थितियों के निरंतर जारी रहने के कारण यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ मामले को संदर्भित किया है।

विकास आयुक्त / यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

मद संख्या 73.9 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 1.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हवाईफील्ड, बेंगलुरु, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	हवाईफील्ड, बेंगलुरु, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	1.51	हां	हां (26 अक्टूबर 2016)	नया

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.10 : गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में ड्यूटी प्रदत्त दोहरे प्रयोगों के लिए अनुरोध

(क) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में ड्यूटी प्रदत्त दोहरे प्रयोगों के लिए मैसर्स पर्सीपिना डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का अनुरोध

मैसर्स पर्सीपिना डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड) को जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 15 अक्टूबर 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था।

चूंकि एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो चुकी है इसलिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए नए विकासक अर्थात् मैसर्स पर्सीपिना डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर 30 दिसंबर 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 68वीं बैठक द्वारा विचार किया गया तथा 14 अक्टूबर 2016 तक वैधता अवधि बढ़ाई गई।

अपनी 65वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स सन्नी विस्टा से स्वामित्व बदलकर मैसर्स पर्सीपिना डवलपर्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, अवसंरचना के दोहरे प्रयोग के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की गई और विकासक को एसईजेड से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 100094 वर्गमीटर के संपूर्ण क्षेत्र को राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों के भुगतान के अधीन विमुक्त करने का निदेश दिया गया जिसमें जहां 1012 आवासीय यूनिटों का निर्माण किया गया है।

अब विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिसूचित एसईजेड की सामाजिक अवसंरचना के दोहरे प्रयोग के अनुमोदन के लिए केन्द्रीय करों से छूट / लाभ जिनका दावा किया गया है जो वापस किए जाएंगे, के भुगतान के अधीन अनुरोध किया है।

विकासक ने अनुबंध 1 में वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अभिवेदन दिनांक 20 अगस्त 2009 के अनुसार निम्नलिखित निवेदन किया है।

(ख) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमोदन दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)	अब तक विकास की स्थिति
1.	आवासीय अपार्टमेंट	100395	निर्माणाधीन

विकासक ने निम्नलिखित के लिए दोहरे प्रयोग के लिए अवसंरचना योजना प्रस्तुत की है :

क्र. सं.	विवरण	अनुमत्य		प्रस्तावित	
		प्रतिशत	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	कुल गैर प्रसंस्करण क्षेत्र		699100.00		699100.00
2.	आवासीय क्षेत्र	25 (अधिकतम)	174775.00	7.04	49238.30

3.	वाणिज्यिक क्षेत्र	10 (अधिकतम)	699100.00	2.69	18784.28
4.	सामाजिक एवं इनफ्रा	20	139820.00	1.96	13711.94
5.	खुला क्षेत्र एवं परिचालन	45 मिनट	314595.00	88.31	617365.49
	कुल		69100.00		69100.00

विकासक ने एसईजेड तथा डीटीए दोनों क्षेत्र में सामाजिक या वाणिज्यिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के दोहरे प्रयोग के लिए राज्य सरकार से सैद्धांतिक अनापति भी प्राप्त की है। संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ही अंतिम अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि विकासक ने राज्य सरकार के स्थानीय निकायों से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है / प्राप्त किए गए लाभों को वापस कर दिया है तथा विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार से बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।

विकासक ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 ए के अनुसार एसईजेड तथा डीटीए के लिए विकसित किए जा रहे गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय भवन के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी सूचित किया था कि वे संबंधित प्राधिकारियों से मांग पर प्राप्त की गई छूटों को वापस कर देंगे / दावा किए गए रिफंड को लौटा देंगे।

उल्लेखनीय है कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में फ्लैट के स्वामी माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा वाणिज्य सचिव के समक्ष यह अभिवेदन कर रहे हैं कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को 19 मई 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 65वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विमुक्त कर दिया जाए।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से तदनुसार अनुमोदन बोर्ड के लिए फ्लैट के स्वामियों के अभिवेदनों सहित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि फ्लैट के स्वामियों के अभिवेदन के संदर्भ में विकासक से पट्टा करार की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(i) ग्राम टालेगांव और पनशील, तालुक खालापुर और ग्राम भोकरापाड़ा, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2012 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स पर्सीपिना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स पर्सीपिना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

लोकेशन : ग्राम टालेगांव और पंचशील, तालुक खालापुर और गांव भोकरापाड़ा, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र

विस्तार : विकासक को 3 बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है,

जिसकी वैधता अवधि 14 अक्टूबर 2016 को समाप्त हो गई है।

बुनियादी तथ्य : उपर्युक्त स्थल पर सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2007 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन जारी किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स पर्सीपिना डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में स्वामित्व का परिवर्तन हुआ जो 19 मई 2015 को आयोजित अपनी 65वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

विकासक ने नई परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

- (i) व्यवसाय योजना का ब्यौरा : विकासक ने 139.83 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की जिसमें से उन्होंने 69.92 हेक्टेयर के प्रसंस्करण क्षेत्र और 69.91 हेक्टेयर के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किया है। विकासक ने बताया है कि वे लगभग 10 से 12 हजार लोगों के लिए परोक्ष रोजगार तथा 1 लाख लोगों के लिए सीधे रोजगार के साथ कुल लगभग 7 हजार करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगा रहे हैं। वे प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण दोनों क्षेत्रों के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं जो बहु सेवा एसईजेड से अपेक्षित विदेशी मुद्रा में राजस्व प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी आवश्यकता है।
- (ii) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद वृद्धिमूलक निवेश (31 अगस्त 2016 तक किया गया) :
 - (i) अवसंरचना एवं विकास के लिए निवेश - 139.62 करोड़ रुपए
 - (ii) भूमि अधिग्रहण की लागत - 585.56 करोड़ रुपए
 - (iii) परियोजना की अनुमानित लागत - 7641.82 करोड़ रुपए

(iii) वर्तमान भौतिक प्रगति का ब्यौरा :

3 अक्टूबर 2016 तक की स्थिति के अनुसार एसईजेड के विकास की भौतिक स्थिति

प्रसंस्करण क्षेत्र :

- (i) एडिनबर्ग - कोर और शेल के लिए आरसीसी, फिनिशिंग, एमईपी वर्क आदि के साथ कार्य काफी पूरा हो गया है तथा दो फ्लोर के लिए ओसी पार्ट प्राप्त हो गया है। प्रवेश लॉबी का कार्य तथा अन्य छोटे मोटे कार्य चल रहे हैं। दिसंबर 2016 तक सभी कार्य पूरे हो जाने का अनुमान है।
- (ii) न्यू कैस्टल - आरसीसी का काम पूरा हो गया है तथा फिनिशिंग का काम चल रहा है। जून 2017 में भवन का निर्माण पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।
- (iii) अवसंरचना कार्य - स्टार्म वाटर ड्रेन तथा लगभग 300 मीटर लंबी आरसीसी संपर्क सड़क के निर्माण का काम चल रहा है। मुख्य रिसेविंग स्टेशन के निर्माण का काम चल रहा है तथा पहले फ्लोर के स्लैब के लिए शटरिंग तथा रिइन्फोर्समेंट का काम प्रगति पर था।

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र : लगभग 1 मिलियन वर्गफीट आरसीसी, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, एमईपी वर्क आंशिक रूप से पूरा हो गया है तथा दो आवासीय भवनों के लिए कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष कार्य दिसंबर 2016 तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने 14 अक्टूबर, 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में दोहरे प्रयोग के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड जो रामानुजन आईटी सिटी, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का अनुरोध

10.24.225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद पत्र दिनांक 27 फरवरी 2009 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय सेवा अपार्टमेंट (कुल 400 यूनिट) के लिए मंजूरी प्रदान की और पुनः अनुमोदन बोर्ड ने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 के माध्यम से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में इंटीग्रेटेड कनवेंशन सेंटर (1500 सीटर) के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की।

अब विकासक ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11ए में संशोधन के फलस्वरूप एसईजेड और डीटीए दोनों संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त दो अवसंरचनाओं के दोहरे प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा विकासक ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 ए (3) (ख) के प्रावधान के तहत गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना अर्थात् कनवेंशन सेंटर तथा सर्विस अपार्टमेंट के दोहरे प्रयोग के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 ए (3) (ग) (2) और (4) के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं सामाजिक अवसंरचना जिसका दोहरा प्रयोग किया जा सकता है, गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का 30 प्रतिशत अर्थात् 20 प्रतिशत सामाजिक + 10 प्रतिशत वाणिज्यिक एवं सामाजिक अवसंरचना है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 11 ए (3) (ग) (2) और (4) को पूरा करता है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थापित आईटी / आईटीईएस यूनिटों तथा डीटीए से बाहर स्थित यूनिटों की सहायता के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा सृजित की जाने वाली दूरसंचार एवं अवसंरचना सुविधा के लिए अनुरोध

32.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है तथा इसमें दो अनुमोदित एवं क्रियाशील यूनिटें हैं। विकासक द्वारा 30 अप्रैल 2016 तक की स्थिति के अनुसार कुल 105.10 करोड़ रुपए (भूमि की लागत के रूप में 191.50 करोड़ रुपए तथा साइट विकास के लिए 3.60 करोड़ रुपए) के कुल निवेश की सूचना प्रदान की गई है। अब तक कुल 181 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन किया गया है।

विकासक ने 60000 वर्गफीट (5575 वर्गमीटर) के निर्मित क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मोबाइल स्विचिंग सेंटर (मोबाइल एक्सचेंज) की सुविधा स्थापित करने के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को पट्टा आधार पर 53000 वर्गफीट (4924 वर्गमीटर) भूमि आवंटित की है ताकि वे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थापित यूनिटों तथा डीटीए से बाहर स्थित अन्य यूनिटों के लिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान

करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित निधि के तहत लाइसेंस के अनुसार दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकें। 4924 वर्गमीटर की प्रस्तावित भूमि सर्वे नंबर 191/1 की भूमि का हिस्सा है जिसका कुल क्षेत्रफल 8771.92 वर्गमीटर है।

विकासक मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के बीच व्यवस्था के अनुसार मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एसईजेड में सभी यूनिटों को तथा एसईजेड के बाहर डीटीए में स्थित अन्य यूनिटों को भी ध्वनि एवं डाटा सेवा की सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।

एसईजेड यूनिटों तथा डीटीए की यूनिटों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सुविधाओं के सृजन के लिए नियम 11 ए (1) के प्रावधान के अनुसार कोई छूट, रियायत या ड्राबैक ग्राह्य नहीं होगा तथा ऐसी भूमि का उपयोग राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के विनियमों के अनुसार होगा।

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को पट्टा पर देने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाने वाला उक्त एसईजेड का ग्राउंड प्लान प्रस्तुत किया गया है। विनिर्दिष्ट अधिकारी ने प्रमाणित किया है कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में जहां प्रस्तावित ढांचा स्थापित करने का इरादा है, सर्वे नंबर 91/ए से संबंधित भूमि के लिए आवेदक द्वारा स्टांप ड्यूटी के भुगतान से कोई छूट प्राप्त नहीं की गई है। चूंकि गुजरात सरकार की स्टांप शाखा स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के भुगतान का सत्यापन कर चुकी है तथा विकासक द्वारा यह सुविधा स्थापित करने के लिए निर्धारित भूमि के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर से कोई छूट प्राप्त नहीं किया गया है इसलिए मोबाइल टावर इंस्टाल करने के लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भूमि के कुछ अंश के दोहरे प्रयोग के लिए विकासक का प्रस्ताव विधिवत रूप से संस्तुत है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 ए (3) (सी) (2) के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में वाणिज्यिक अवसंरचना जिसका दोहरा प्रयोग किया जा सकता है, गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का 10 प्रतिशत है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.11 : विविध मामले

(i) बेलगाम, कर्नाटक में प्रिंसीजन इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में आईटी / आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तथा हार्डवेयर विनिर्माण ऊर्जा बीपीओ (लेगा, मेडिकल तथा समान सेवाओं सहित), केपीओ और अनुसंधान एवं विकास सेवाओं के लिए सेक्टरल ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स एक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 07 जनवरी, 2008 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है तथा 28 जुलाई 2009 को क्रियाशील हो गया। एसईजेड में 20 यूनिटें हैं जिनमें से 14 यूनिटों ने प्रचालन शुरू कर दिया है। अब तक एसईजेड में 33.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का उपयोग हो चुका है तथा 73.12 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है।

विकासक ने आईटी / आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तथा हार्डवेयर विनिर्माण ऊर्जा बीपीओ (लेगा, मेडिकल तथा समान सेवाओं सहित), केपीओ और अनुसंधान एवं विकास सेवाओं के लिए ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूनिट को इस प्रयोजनार्थ 4.50 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण करना है।

वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 13 सितंबर 2013 के माध्यम से जीएसआर 540 (ई) दिनांक 12 अगस्त 2013 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों में किए गए संशोधनों पर स्पष्टीकरण जारी किए गए। ब्राड बैंडिंग से संबंधित स्पष्टीकरण के पैरा 6 में निम्नानुसार प्रावधान है :

"सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के प्रावधानों ने न्यूनतम क्षेत्रफल के मापदंड के प्रयोजनार्थ एकल सेक्टर के रूप में माने गए प्रत्येक ब्राड बैंड सेक्टर के समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सेक्टरों की श्रेणियां शुरू की हैं। ब्राड बैंडिंग का सिद्धांत इस तथ्य को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा कि अतिरिक्त यूनिटों के लिए अतिरिक्त पर्यावरणीय बाह्यताओं की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी ब्राड बैंडिंग के कारण आएंगी। किसी सेक्टर को शामिल करने वाली ऐसी ब्राड बैंडिंग श्रेणी के कुछ निदर्शनात्मक उदाहरणों में शामिल हैं :

- टेक्सटाइल, परिधान, होजरी, फैशन गारमेंट, वूल और कार्पेट
- लेदर, लेदर हैंडीक्राफ्ट, लेदर गारमेंट और खेल के सामान
- आटो कंपोनेंट्स / पार्ट्स, लाइट इंजीनियरिंग
- जैव प्रौद्योगिकी, फर्मास्युटिकल एवं रसायन
- आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं हार्डवेयर विनिर्माण, गैर परंपरागत ऊर्जा, बीपीओ (विधिक, मेडिकल तथा समान सेवाओं सहित), केपीओ तथा सेक्टर की संबंधित सहायक सेवाओं से संबद्ध अनुसंधान एवं विकास तथा अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को शामिल किया जाएगा तथा सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के अभिन्न अंग के रूप में माना जाएगा। क्षेत्र की आवश्यकता की सुसंगति आदि के आधार पर किसी सेक्टर में ब्राड बैंडिंग के लिए अतिरिक्त श्रेणियों को अनुमत करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के पास विवेकाधिकार होगा।

13 सितंबर 2013 को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए एसईजेड संशोधन पर स्पष्टीकरण के अनुसार ब्राड बैंडिंग के प्रत्येक सेक्टर के साथ समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सेक्टरों की श्रेणियों के लिए ब्राड बैंडिंग के प्रावधानों ने भूमि के न्यूनतम मापदंड के प्रयोजनार्थ एकल सेक्टर के रूप में लिया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने नोट किया है कि अतिरिक्त यूनिटों के लिए अतिरिक्त पर्यावरणीय बाह्यताओं की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी ब्राड बैंडिंग के कारण आएंगी।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 73.12 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

क्रम संख्या	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स करांजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम चांजी, तालुक उरान, रायगढ़)	एफटीडब्ल्यूजेड	31 अक्टूबर 2006	एसईईपीजेड	एसईजेड को 18 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया। विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 अक्टूबर, 2012 को समाप्त हो गई है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2013 और इसके बाद पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2013 के माध्यम से विकासक से एसईजेड के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए नवीनतम कदमों के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए कहा था परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए 28 अगस्त 2014 को विकासक को निजी सुनवाई के लिए सूचित किया गया परंतु विकासक निजी सुनवाई के लिए नहीं आया। पुनः 31 मई 2016 को विकासक से एसईजेड के कार्यान्वयन का ब्यौरा प्रदान करने के

					<p>लिए कहा गया तथा 9 जून 2016 एवं 22 जुलाई 2016 को विकासक से वित्तीय बंदी का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया परंतु विकासक ने पत्र दिनांक 4 अगस्त 2016 के माध्यम से बताया है कि उन्होंने पीएनबी से बात की थी परंतु संचार के माध्यम से संस्वीकृति की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि अनुमोदन औपचारिक अनुमोदन के विस्तार / वैधता के अधीन था। इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।</p>
2.	<p>मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (पनवेल रायगढ़)</p>	<p>रत्न एवं आभूषण</p>	<p>25 अक्टूबर 2006</p>	<p>एसईईपीजेड</p>	<p>एसईजेड को 9 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया। विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 को समाप्त हो गई है।</p> <p>एसईजेड ने भूमि को हरित क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए एमएमआरडीए के पास आवेदन किया। क्षेत्र में परिवर्तन न होने के कारण एसईजेड के विकासक को निष्पादित करने में विलंब हुआ है। इसके बाद विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पत्र दिनांक 4 फरवरी 2015 के माध्यम से प्रधान सचिव, उद्योग, श्रम एवं ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार से प्रस्तावित एसईजेड के लिए भूमि को हरित क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए विकासक को अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया। उद्योग निदेशक, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि हरित क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित मामला बंद हो गया है।</p> <p>विकासक को अंतिम पत्र दिनांक 18 मई 2016 भेजा गया जिसमें कहा गया कि वे भूमि का प्रापण करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं इसलिए अनुमोदन बोर्ड से निरसन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की जाएगी, जिसके जवाब में विकासक ने बताया कि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अनुमोदन 6-8 माह के अंदर प्रदान किया जाएगा तथा उन्होंने निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने की भी मांग की।</p> <p>विकासक को 7 जून 2016 को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा 25 दिन के अंदर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया। तथापि, इस कार्यालय को इस संबंध में अब तक विकासक से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>इसलिए विकास आयुक्त ने पाया कि विकासक अधिसूचना की तिथि से 8 साल बीत जाने के बाद भी</p>

					हरित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित नहीं करा पाया है। इसलिए विकासक के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश नहीं की गई है तथा औपचारिक अनुमोदन निरस्त किया जा सकता है।
--	--	--	--	--	--

मद संख्या 73.13 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 सितंबर, 2016 के विरुद्ध मैसर्स जय भारत प्लास्टिक जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट को व्यापार की गतिविधि (प्रतिबंधित एवं निषिद्ध मदों से भिन्न सभी मदों) के लिए एसईजेड योजना के तहत यूनिट स्थापित करने के लिए फाइल संख्या एफएसईजेड/एलआईसी/जे-22/ट्रेडिंग / 2005/6420 दिनांक 4 जनवरी 2006 के माध्यम से एलओए जारी किया गया। इसके अलावा विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं :

- (i) यूनिट एसईजेड योजना के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन आरंभ होने की तिथि से 5 साल की अवधि के लिए अपने संपूर्ण उत्पादन सेवा का निर्यात करेगी जिसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री तथा अस्वीकृतियां शामिल नहीं हैं। इस प्रयोजनार्थ यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एसईजेड योजना में यथानिर्धारित अपेक्षित विधिक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी।
- (ii) यूनिट से उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 साल की अवधि के लिए एसईजेड योजना में प्रावधान के अनुसार सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) प्राप्त करने की अपेक्षा होगी तथा ऐसा न होने पर उस पर दंड लगाने की कार्रवाई की जा सकती है।
- (iii) निषिद्ध सूची में शामिल मदों को छोड़कर सभी मदों के आयात / स्थानीय क्रय की अनुमति होगी।
- (iv) एलओपी निर्गम की तिथि से 5 साल के लिए वैध है जिसके अंदर यूनिट को परियोजना कार्यान्वित करनी चाहिए तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना चाहिए और यह अपने आप कालातीत हो जाएगा यदि वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व नहीं किया जाएगा। संबंधित विकास आयुक्त को उत्पादन आरंभ होने की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने पत्र दिनांक 4 मार्च 2011 के माध्यम से (1) रेडीमेड गारमेंट, (2) एगलोमरेट / ग्रेन्यूल तथा प्लास्टिक बैग और (3) गोल्ड ज्वैलरी के व्यापार की गतिविधि को नवीकृत / संशोधित किया था। 18 फरवरी 2016 को अपीलकर्ता ने एलओए की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व अर्थात् 22 फरवरी 2016 से पूर्व उपर्युक्त एलओए के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया था कि अपीलकर्ता ने सोने के आभूषणों के निर्यात पर रोक के कारण 5 साल के पिछले ब्लाक के दौरान 7.62 करोड़ रुपए का नकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है जो 4 जनवरी 2016 को जारी किए गए मूल एलओए तथा 1 मार्च 2011 को एलओए के नवीकरण पर उनके लिए अनुमत था (प्रतिबंधित एवं निषिद्ध मदों से भिन्न सभी मदों के लिए) और इसके बाद संशोधित पत्र दिनांक 4 मार्च 2011 के माध्यम से ट्रेडिंग की मदों को घटा दिया गया तथा 3 मदों अर्थात् (1) रेडीमेड गारमेंट, (2) एगलोमरेट / ग्रेन्यूल एवं प्लास्टिक बैग तथा (3) गोल्ड ज्वैलरी तक सीमित कर दिया गया।

इसके अलावा विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2016 के माध्यम से नकारात्मक एनएफई तथा यूनिट के घटिया निष्पादन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि एलओए तथा एल्यूटी के उल्लंघन के लिए क्यों न दंड लगाया जाए और क्यों न एलओपी को निरस्त किया

जाए। इसके बाद विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने पत्र दिनांक 7 सितंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि 15 जून 2016 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक के आधार पर एलओए का नवीकरण न करने का निर्णय लिया गया है जो 22 फरवरी 2016 तक वैध था और यूनिट का एलओए निरस्त किया गया।

इस प्रकार अपीलकर्ता ने उपर्युक्त निरसन के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 2) दाखिल की है।

(ii) उनके एलओए में अनुमोदन समिति द्वारा लगाई गई शर्त के विरुद्ध मैसर्स जगदंबा इंपेक्स की अपील

अपीलकर्ता ने आवेदन दिनांक 19 अप्रैल 2016 के माध्यम से नोएडा एसईजेड में इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन, कोर ऑयल असेंबली, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, कॉपर वायर / स्ट्रिप, एल्युमिनियम वायर / स्ट्रिप तथा अन्य पार्ट्स के निर्माण और निर्यात के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया है।

एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए अपीलकर्ता के उपर्युक्त प्रस्ताव पर 2 जून 2016 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा विचार किया गया तथा यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा एसईजेड अधिनियम 2005 और एसईजेड नियमावली 2006 के तहत कुछ शर्तें लगाई गई हैं जो इस प्रकार हैं :

- (i) आप उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 साल की अवधि के लिए एसईजेड अधिनियम 2005 तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्मित माल का 100 प्रतिशत निर्यात करेंगे। इस प्रयोजनार्थ आप एसईजेड नियमावली 2006 में यथानिर्धारित बांड सह विधिक वचन पत्र निष्पादित करेंगे।
- (ii) आप निर्यात उत्पादन के लिए केवल प्राइम सीआरजीओ का आयात / क्रय करेंगे।
- (iii) आपको गैर प्राइम, मिल लेफ्ट ओवर, स्क्रैप तथा नकली सीआरजीओ सामग्री का आयात करने की अनुमति नहीं होगी।
- (iv) आप प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकताओं का निर्वहन करेंगे जो प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

इस प्रकार अपीलकर्ता ने आवेदक को जारी किए गए एलओए संख्या 02/02/2016-प्रोजेक्ट/5915 दिनांक 20 जून 2016 के (i)(ii) और (iii) में लगाई गई शर्तों को हटाने / संशोधित करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष वर्तमान अपील (अनुबंध 3) की है;

या वैकल्पिक तौर पर

- (i) यूनिट द्वारा किए जाने वाले निर्यात के साथ ही डीटीए को बिक्री करने के लिए अपीलकर्ता को अनुमति प्रदान करने के लिए एलओए की शर्त में संशोधन करें;
- (ii) उत्पादन के लिए केवल प्राइम सीआरजीओ के आयात के संबंध में एलओए की शर्त (2) और (3) में संशोधन करें ताकि इसे पुराने और हटाए गए ट्रांसफार्मर के कोर कॉयल असेंबली से भिन्न फ्रेश सीआरजीओ स्टील के आयात के रूप में पढ़ा जा सके।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 सितंबर, 2016 के विरुद्ध मैसर्स कमल दीप ज्वैलर्स जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट को निर्यात के लिए एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 21 दिसंबर 2005 को एलओपी जारी किया गया था। उक्त यूनिट पत्र दिनांक 2 अगस्त 2016 के माध्यम से अगले 5 साल के लिए एलओए के नवीकरण के लिए जयपुर एसईजेड / एनएसईजेड के कार्यालय से अनुरोध किया था। 2 सितंबर 2014 को

आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति ने एलओए दिनांक 3 जुलाई 2006 को निरस्त कर दिया है तथा सीमा शुल्क प्रभाग को डिबांडिंग की औपचारिकताओं के पूर्ण होने से पूर्व सभी शुल्क एवं ब्याज आदि वसूल करने के लिए निदेश दिया है। बाजार में तेजी आने और निर्यात आर्डर प्राप्त करने के बाद पुनः यूनिट ने पत्र दिनांक 18 जुलाई 2016 और 1 अगस्त 2016 के माध्यम से एलओए के नवीकरण के लिए विकास आयुक्त के पास आवेदन किया था। यूनिट ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान एनएफई मेनटेन किया है और कोई विदेशी भुगतान लंबित नहीं है। तथापि, जयपुर एसईजेड / एनएसईजेड के कार्यालय में पत्र दिनांक 5 सितंबर 2016 के माध्यम से अगले 5 साल के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया है।

इस प्रकार अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 4) दाखिल की है।

यूनिट अनुमोदन समिति / वीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 मई 2016 के विरुद्ध मैसर्स डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड सीटीओ एसईजेड प्रोसेस यूनिट 1 जो सर्वे नंबर 53-80, देवुनीपालावालसा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला में डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट को सर्वे नंबर 53-80, देवुनीपालावालसा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल एवं एपीआई के निर्माण के लिए 31 जनवरी 2010 को एलओपी जारी किया गया था। अब यूनिट ने क्यूए / क्यूसी से संबंधित सेवाओं जैसे कि अन्य एसईजेड यूनिटों तथा डीटीए में अन्य यूनिटों के लिए विश्लेषण विधि की वैधता को शामिल करने के उद्देश्य से मौजूदा सीटीओ एसईजेड प्रोसेस यूनिट 1 के लिए क्यूए/क्यूसी सेवाओं की सेवा गतिविधि को शामिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सुविधा सभी प्रकार के परीक्षण कर सकती है जिसमें सीटीओ एसईजेड तथा अन्य डीआरएल सीटीओ यूनिटों के लिए विश्लेषण विधि का सत्यापन, फर्मास्युटिकल खामियों पर कार्य शामिल है जो क्यूसी तथा क्यूए से संबंधित सेवाएं हैं। जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अत्यधिक योग्य एवं कुशल जनशक्ति के साथ अनेक चरणों की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए असंख्य प्रयोगशाला उपकरणों तथा लैब स्तरीय विनिर्माण की सुविधाओं की आवश्यकता होती है ताकि अंतिम परिणाम प्राप्त हो सकें।

यूनिट अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पत्र दिनांक 11 मई 2016 के माध्यम से अस्वीकार करने के किसी कारण का उल्लेख किए बगैर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद यूनिट ने अस्वीकृति के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड से संपर्क किया क्योंकि न तो बैठक के कार्यवृत्त में और न ही यूनिट को भेजे गए पत्र में इस संबंध में कोई उल्लेख है। विकास आयुक्त ने यूनिट को ब्राड बैंडिंग के तहत संशोधित / नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी है और तदनुसार यूनिट ने विकास आयुक्त को 2 जून 2016 को नया एवं संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया। विकास आयुक्त ने पत्र दिनांक 21 जून 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रस्ताव पर केवल यूनिट अनुमोदन समिति में विचार किया जाएगा तथा यदि उक्त सेवाएं केवल यूनिट को प्रदान की जाएंगी, न कि अन्य एसईजेड या अन्य डीटीए यूनिट को प्रदान की जाएंगी तो अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

इस प्रकार अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 5) दाखिल की है।
